CENTRE FOR
POLICY
RESEARCH
NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT

भूजल निकासी के नियम

हिंदी अनुवाद : निधि अग्रवाल

रूपरेखा : रे जाकारिया

मुद्रण : प्रिन्टफॉर्स

इस प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग 'दुलिप मथाई नेचर कॉनसवेशन ट्रस्ट' से प्राप्त हुआ।

01 भूजल निकासी के नियम

01

भूजल निकासी के नियम

भूजल निकासी किसी भी भू–स्रोत से, अस्थायी या स्थायी रूप से पानी निकालने की प्रक्रिया है।

क्या भूजल निकासी के लिए अनुमति लेनी पड़ती है?

प्रत्येक उद्योग जिसे भूजल निकालने की आवश्यकता है, उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

भूजल प्रदूषण की जांच करने के लिए कौन कौन से संस्थान ज़िम्मेदार हैं?

केन्द्रीय	• केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWB), दिल्ली
राज्य	• केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), का भुबनेश्वर मे क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक भूजल प्राधिकरण, CGWB का रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, CGWB क्षेत्रीय का अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय।

भूजल निकासी के लिए क्षेत्रों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है?

CGWA ने 162 'नोटिफाइड क्षेत्रों' की पहचान की है। गैर–नोटिफाइड क्षेत्रों को 'नॉन नोटिफाइड क्षेत्र' कहा जाता है। CGWA ने इस प्रकार के क्षेत्रों को चार श्रेणियों में बांटा है :

सुरक्षित क्षेत्र - 4580 सुरक्षित क्षेत्र

अर्ध–संवेदनशील क्षेत्र - 697 अर्ध–संवेदनशील क्षेत्र

संवेदनशील क्षेत्र - 217 संवेदनशील क्षेत्र

अति–शोषित क्षेत्र - 1071 अति–शोषित क्षेत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए स्वीकृति कौन देता है

नोटिफाइड क्षेत्रों में अधीकृत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मामलों पर कार्यवाही करते हैं। यह अधीकृत अधिकारी इस प्रकार हैं :

- प्रशासनिक ब्लॉक या तालुका के उप कमिश्नर/ ज़िला न्यायाधीश / ज़िला कलेक्टर
- नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका अध्यक्ष

इन ज़िला प्रशासनिक अध्यक्षों के सहयोग के लिए सलाहकार समितियां होती हैं।
भूजल निकासी के लिए सलाहकार समिति की सलाह पर, अधीकृत अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाती है।
व्यवहारिक स्तर पर नॉन नोटिफाइड क्षेत्रों के लिए भी ज़िला कलेक्टर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

नोटिफाइड क्षेत्रों में भूजल निकासी की अनुमति किसे और कब दी जा सकती है?

परिवारों को अनुमति दी जा सकती है, और व्यक्तिगत परिवारों के अलावा, केवल उन मामलों में जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित नहीं है।
नोटिफाइड क्षेत्रों के लिए 'व्यक्तिगत परिवारों के अलावा' श्रेणी में 25 प्रकार के मूलभूत निर्माण प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें शामिल हैं, आवासीय अपार्टमेंट/ फ्लैट, आवासीय बस्तियां, व्यावसायिक प्लाज़ा, मॉल और मल्टीप्लैक्स; अस्पताल, कार्यालय बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसौर्ट, होटल, अवकाश गृह/ अतिथि गृह, औद्योगिक क्षेत्र (गैर–औद्योगिक उपयोग), विशेष आर्थिक क्षेत्र (गैर–औद्योगिक उपयोग), बैंक्वेट हॉल, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, बंदरगाह, राष्ट्रीय उच्च मार्गों के प्रांगण, दमकल केन्द्र, गोदाम, आई.टी.कॉम्प्लैक्स, रसद और कार्गो।

भूजल निकासी करने वाले उद्योगों के लिए किस प्रकार की शर्तें दी गई हैं?

- भूजल का कितनी मात्रा में कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया जाएगा, इससे संबंधित शर्तें।
- समय समय पर रिपोर्ट देने और किस ऑफिस में, इससे संबंधित शर्तें।
- पानी के पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति संबंधी शर्तें।

कौन कौन से उद्योग गहन जल उपयोग करते हैं?

पानी की बोतलें बेचने के लिए बनाने वाले उद्योग, मिनरल वॉटर प्लांट, चमड़े के कारखाने, आसवनी, शराब की भट्टी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले, कागज़ व पल्प, उर्वरक, कपड़ा रंगाई, कपड़ा छपाई, कपड़ा बनाने की मिल, चीनी फैक्ट्री, दुग्ध उत्पाद बनाने वाले, वॉटर पार्क और मनोरंजन केन्द्र।

गहन जल उपयोग वाले उद्योगों को अति–शोषित क्षेत्रों से भूजल निकासी की अनुमति नहीं है।

02 भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

02

भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए कानन का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

पिछले खंड में बताया गया कि भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से कानूनों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कानून की जानकारी ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कानून का उचित तरीके से उपयोग न किया जाए, तब तक प्रभावकारी समाधान प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस खंड में बताया जा रहा है कि कानून को किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है।

1 सबूत इकट्ठे करना

क) दस्तावेज़

दस्तावेज का प्रकार	कहां उपलब्ध है	कहां उपयोगी है
अनापत्ति प्रमाण पत्र	CGWA ज़िला कलेक्टर का कार्यालय	• भूजल निकासी की अनुमति ली गई है या नहीं
भूजल संबंधी निगरानी एवं अनुपालन रिपोर्टें	CGWA, CGWB	• भूजल की मात्रा और गुणवत्ता देखना
पर्यावरणीय स्वीकृति	श्रेणी A: MoEFCC श्रेणी B1: राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) श्रेणी B2: ज़िला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (DEIAA) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी उपलब्ध	• इनमें भूजल उपयोग संबंधी शर्तें दी होती हैं। • इन्हें पढ़ना उपयोगी होगा और यह देखना की उनका पालन किया जा रहा है या नहीं।
CTO CTE	SPCB	• अपशिष्ट निकासी के स्थल की पहचान करना। • जो अपशिष्ट निकाला जा रहा है उसके प्रकार और उसके तत्वों की जांच करना। • भूजल उपयोग और बहाव की विस्तृत जानकारी। • भूजल प्रदूषण के मामले में इन शर्तों को देखना उपयोगी होगा।

दस्तावेज का प्रकार	कहां उपलब्ध है	कहां उपयोगी है
EC की जांच एवं अनुपालना रिपोर्ट	MOEFCC क्षेत्रीय कार्यालय	• यह देखना उपयोगी होगा कि पानी के बहाव संबंधी शर्तों की पहले अनुपालना की जा रही थी या नहीं।
पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, निर्देश नोटिस	SPCB	• यह देखना उपयोगी होगा कि इन शर्तों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध पहले कोई नोटिस जारी किया गया है या नहीं।

ख) फोटो और विडियो क्लिप

ज़मीनी स्थिति दर्शाने के लिए फोटो प्रमाण हमेशा उपयोगी रहते हैं। यह ज़रूरी है कि फोटो या विडियो बनाने की तिथि और समय को रिकार्ड किया जाए।

ग) अखबार की खबरें

यदि इस मामले की रिपोर्ट अखबार में छपी है, तो वह शिकायत में अतिरिक्त सबूत की भूमिका निभा सकती है। लेकिन, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अखबार की खबर सच्ची हो और उसे सबूत की तरह उपयोग करने से पहले उसकी पुष्टि कर ली जाए।

2 शिकायत लिखना

शिकायत कब दर्ज की जा सकती है?

शिकायत कब दर्ज की जा सकती है?
इन मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है :

- जब स्वीकृति न ली गई हो।
- जब शर्तों का उल्लंघन हुआ हो।
- जल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर।

शिकायत में क्या क्या शामिल करना चाहिए?

- उल्लंघन किस प्रकार हुआ है।
- उल्लंघन के कारण आसपास के लोगों पर होने वाले प्रभाव
- सहयोगी सबूत।
- किस समाधान की अपेक्षा की जा रही है।

शिकायत किसे भेजी जानी चाहिए?

CTO, CTE और जल अधिनियम के उल्लंघन संबंधी शिकायतें	SPCB का क्षेत्रीय कार्यालय
	SPCB का मुख्य कार्यालय
EC शर्तों के उल्लंघन की शिकायतें	MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय
	SEIAA
	DEIAA
सार्वजनिक उपद्रव	ज़िला कलेक्टर/ न्यायाधीश
भूजल का गैर–कानूनी उपयोग	CGWA क्षेत्रीय कार्यालय
भूजल संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की अनुपालना न होने की स्थिति में	ज़िला कलेक्टर

क्या समाधान उपलब्ध हैं?

स्थिति	समाधान
भूजल संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की अनुपालना न होने की स्थिति में	• इसके कारण दिशानिर्देशों में बताए गए नोटिफाइड और नॉन–नोटिफाइड, दोनों क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है या उसका नवीनीकरण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, नोटिफाइड क्षेत्रों में अनुपालना न किए जाने पर, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है।
आपातकालीन स्थिति (जब राज्य बोर्ड को लगे कि किसी झरने, कुंए या तालाब या ज़मीन पर कोई ज़हरीला, हानिकारक या प्रदूषण करने वाला पदार्थ मिल गया है, जो कि किसी दुर्घटना या किसी अप्रत्याशित कार्य के कारण हुआ हो, और यदि बोर्ड की राय में तुरंत कार्यवाही करना ज़रूरी समझा जाए)	• इस पदार्थ को झरने या कुंए या ज़मीन से हटाया जा सकता है। • इस पदार्थ के कारण हुए प्रदूषण का समाधान किया जा सकता है, या प्रभाव कम किया जा सकता है। • इस पदार्थ के बहाव को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेश जारी किया जा सकता है।
सार्वजनिक उपद्रव	ज़िला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है।
अनुमति के बिना काम किए जाने पर	SPCB द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें काम करने संबंधी शर्तें दी गई हों।
अनुमति में दी गई शर्तों की अनुपालना न होने की स्थिति में	• SPCB कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। • SPCB काम बंद करने के आदेश भी दे सकता है।
कारण बताओ नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया न होने / कारण बताओ नोटिस में दिए गए वायदे को तोड़ने की स्थिति में	• प्रदूषण करने वाली गतिविधि को रोकना, प्रतिबंधित करना या उसका नियमन। • पानी, बिजली या इस प्रकार की किसी भी सेवा की आपूर्ति रोकना।
जल अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना न होने की स्थिति में	जेल और/ या दंड के रूप में सज़ा।
EC की शर्तों की अनुपालना न होने की स्थिति में	• EPA, 1986 के अनुरूप जेल और/ या दंड की सज़ा, जो कि 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए दंड या दोनों भी हो सकता है। • गैर अनुपालना की स्थिति में EC रद्द किया जाना।

अस्वीकरण : दिशानिर्देशों का मसौदा 11.10.2017 को अधिसूचित किया जाएगा, जिसके कारण ऊपर दी गई जानकारी में बदलाव हो सकते हैं।

सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में

सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी.पी.आर) भारत में वर्ष 1973 से, सार्वजनिक नीतियों के विषय पर प्रबुद्ध विशेषज्ञों का समूह रहा है। यह एक गैर–मुनाफा, स्वतंत्र संस्था है जो भारत में जीवन को प्रभावित करने वाले ढांचों और प्रक्रियाओं पर सार्वजनिक चर्चा में योगदान के लिए अध्ययन करने के प्रति समर्पित है।

www.cprindia.ortg

नमति के बारे में

एक ऐसे विश्व में जहां करोड़ों लोगों को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, नमति लोगों के हाथ में कानून सौंपने के प्रति समर्पित है। यह ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कानूनी पैरवीकारों का एक वैश्विक आंदोलन तैयार कर रहा है, जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर न्याय प्राप्त करने का काम करते हैं। यह पैरवीकार आगे बढ़कर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोग अपनी ज़मीनें बचा सकें, ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच सकें, और उन निर्णयों में भागीदार बन सकें जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

www.namati.org